प्रेस विज्ञप्ति
23.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स येसक्यूब इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मामले में पीएमएलए की धारा 8(7) के तहत अपराध की आय की संपत्ति के समपहरण का आदेश प्राप्त किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय द्वारा संदीप शुक्ला एवं अन्य के विरुद्ध धन शोधन के मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 8(7) के अंतर्गत एक अचल संपत्ति के समपहरण का आदेश पारित किया है। माननीय विशेष न्यायालय ने दिनांक 18.07.2026 के अपने आदेश द्वारा पीएमएलए विशेष वाद संख्या 12/2018 में ईडी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुए ठाणे (पश्चिम) स्थित घोड़बंदर रोड, बिल्डिंग संख्या-1, रीजेंसी टॉवर की रूबी बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट संख्या-901 को पीएमएलए की धारा 8(7) के तहत केंद्र सरकार के पक्ष में समपहरित करने का आदेश दिया।

ईडी ने अपनी जांच दिनांक 08.04.2010 की एफआईआर संख्या 136/2010 के आधार पर प्रारंभ की थी, जिसे बाद में मुंबई के आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को हस्तांतरित कर अपराध क्रमांक 22/2010 के रूप में पुनः पंजीकृत किया गया। जांच के उपरांत ईओडब्ल्यू ने दिनांक 13.03.2013 को संदीप लालबहादुर शुक्ला, मनोज लालबहादुर शुक्ला, सेबास्टिन माइकल परेरा तथा निलेश दत्तात्रेय म्हात्रे के विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया। आरोप था कि उन्होंने संयुक्त रूप से मैसर्स येसक्यूब इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की स्थापना की, जिसका पंजीकृत कार्यालय बोरीवली (पश्चिम), मुंबई में तथा महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर शाखा कार्यालय संचालित थे।

जांच से पता चला कि आरोपियों ने समाचार-पत्रों में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित कर विभिन्न निवेश योजनाएं प्रारंभ कीं, जिनमें अवास्तविक रूप से अधिक प्रतिफल तथा भूमि/संपत्ति के अस्थायी स्वामित्व का प्रलोभन दिया गया, जबकि उनके पास कोई व्यवहार्य व्यावसायिक मॉडल नहीं था। इस प्रकार उन्होंने निवेशकों से अवैध रूप से धन एकत्र कर जनता को अनुचित हानि तथा स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाया।

आगे की जांच से यह भी पता चला कि आरोपियों ने मैसर्स येसक्यूब इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से विभिन्न बैंकों में खाते खोलकर उनका संचालन किया, जिनके माध्यम से लगभग 27.92 करोड़ रुपये एकत्र किए गए। इनमें से लगभग 18.62 करोड़ रुपये निवेशकों को लौटाए गए, जबकि शेष लगभग 9.30 करोड़ रुपये अनुचित लाभ के रूप में अर्जित हुए, जो "अपराध की आय" (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) है। जांच में यह भी सामने आया कि निकाली गई नकद राशि का एक भाग मनोज शुक्ला तथा श्रीमती उर्मिला शुक्ला के बैंक खातों में जमा कराया गया।

जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि उपरोक्त बैंक खातों का उपयोग ठाणे स्थित एक फ्लैट की खरीद हेतु बिल्डर को भुगतान करने तथा उनकी माता के नाम पर एक कार खरीदने के लिए किया गया। यह स्थापित हुआ कि उक्त फ्लैट एवं कार अपराध की आय से अर्जित किए

गए थे, अतः वे पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के अंतर्गत कुर्क किए जाने योग्य थे। तदनुसार, ईडी ने दिनांक 11.10.2017 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से लगभग 1.28 करोड़ रुपये मूल्य की उक्त संपत्तियों, जिनमें 1.25 करोड़ रुपये मूल्य का फ्लैट तथा 3 लाख रुपये मूल्य की कार शामिल थी, को अनंतिम रूप से कुर्क किया। तत्पश्चात, सक्षम निर्णायक प्राधिकरण ने दिनांक 19.03.2018 के आदेश द्वारा पीएमएलए की धारा 8(3) के अंतर्गत उक्त कुर्की की पुष्टि की। इसके बाद दिनांक 03.07.2018 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत प्रस्तुत की गई।

आगे की जांच में यह भी पाया गया कि उद्घोषणा सूचना तथा गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद संदीप शुक्ला एवं मनोज शुक्ला फरार रहे। परिणामस्वरूप, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने दिनांक 08.08.2025 के आदेश द्वारा उनके विरुद्ध विचारण को पृथक कर दिया तथा बाद में उन्हें उद्घोषित अपराधी घोषित किया। इसके उपरांत दिनांक 05.12.2025 को माननीय न्यायालय ने शेष आरोपियों के विरुद्ध आरोप भी तय किए।

चूंकि संदीप शुक्ला एवं मनोज शुक्ला लगातार फरार रहे और उनके विरुद्ध विचारण प्रारंभ नहीं हो सका, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय ने माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष पीएमएलए, 2002 की धारा 8(7) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात माननीय न्यायालय ने उक्त आवेदन स्वीकार करते हुए संबंधित संपत्ति को समपहरित करने का आदेश प्रवर्तन निदेशालय के पक्ष में पारित किया।